बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 12-7-16

संख्या–14/प्रो० 105/2016 सा०प्र०– 9625/ बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे–बैंड ₹37,400– 67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,700/–), के पदाधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कोटि कमांक–418/11, विशेष पदाधिकारी–सह– संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय परिपत्र सं0–4800 दिनांक–1.04.2016 के आलोक में अपर सचिव/ समकक्ष स्तर (पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,900/–) में इस शर्त के साथ औपबंधिक **स्थानापन्न प्रोन्नति** दी जाती है कि यदि सुरक्षित रखे गये पद से संबंधित पदाधिकारी को आरोप मुक्त होने के फलस्वरूप प्रोन्नति दी जाती है तो श्री गुप्ता को पदावनत किया जा सकेगा ।

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विशेष पदाधिकारी–सह– संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर सचिव/ समकक्ष स्तर में उत्कमित करते हुये उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

3. श्री गुप्ता को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) 12/7/16
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 105/16 सा०प्र०– 9625 / पटना–15,दिनांक– 12-7-16

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्यरैया भवन, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कोटि कमांक–418/11, विशेष पदाधिकारी–सह– संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी0डी0 तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 12/7/16
सरकार के अवर सचिव ।